न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री बनवारीलाल आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :–243/2016 अन्तर्गत धारा 88, 15 एएए आरटीएक्ट

देवीलाल पुत्र श्री पतराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम

1. दाताराम पुत्र श्री साहबराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
2. सुखादेवी पत्नी स्व0 मदनलाल पुत्र साहबराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. रविकुमार पुत्र मदनलाल पुत्र साहबराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
4. बिमा पुत्री साहबराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
5. गुडडी पुत्री साहबराम जाति सुथार निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. पवनकुमार पुत्र चन्दो पुत्री साहबराम जाति सुथार निवासी रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. विपिन पुत्र चन्दो पुत्री साहबराम जाति सुथार निवासी रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. ममता पुत्री चन्दो पुत्री साहबराम जाति सुथार निवासी रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. विद्यादेवी पत्नी स्व0 साहबराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
10. गौरांदेवी पुत्री परमेश्वरी पुत्री श्री पतराम जाति सुथार निवासी जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
11. बलराम पुत्र परमेश्वरी पुत्री श्री पतराम जाति सुथार निवासी जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. कलावती पुत्री परमेश्वरी पुत्री श्री पतराम जाति सुथार निवासी जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
13. चन्द्रकला पुत्री परमेश्वरी पुत्री श्री पतराम जाति सुथार निवासी जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. वेदप्रकाश पुत्र परमेश्वरी पुत्री श्री पतराम जाति सुथार निवासी जाखड़ांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
15. पुरादेवी पुत्री स्व0 पतराम पुत्र श्री मानाराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
16. कृष्णलाल पुत्र शान्तिदेवी पुत्री स्व0 पतराम जाति सुथार निवासी चोटियांवाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
17. सुरस्ती पुत्री स्व0 पतराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
18. शौरांदेवी पुत्री स्व0 पतराम जाति सुथार निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
19. संतोष पुत्री स्व0 मनीदेवी पुत्री स्व0 पतराम जाति सुथार निवासी माणकथेड़ी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
20. मुकेश पुत्र स्व0 मनीदेवी पुत्री स्व0 पतराम जाति सुथार निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
21. राजस्थान राज्य जरिये पेरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री राकेशकुमार भाकर वकील–वादी

प्रतिवादीगण 1 ता 20
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 21

निर्णय दिनांक– 01-10-2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादी द्वारा दिनांक 12.11.2016 को विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 15 एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के जरिये वकील पेश किया गया कि आराजी चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 43/30 के प0नं0 9/63(18) कि0नं0 23 की 0.253 है0, प0नं0 29/8(30) कि0नं0 1,10,11,20,21 की 1.265 है0, प0नं0 9/64(31) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 है0, प0नं0 10/57(38) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 15 की 2.277 है0, प0नं0 30/1(39) कि0नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 की 2.277 है0 कुल 9.867 है0 तथा इसी चक के खाता सं. 115/101 के प0नं0 29/16(29) कि0नं0 21 की 0.253 है0, प0नं0 29/8(30) कि0नं0 22 की 0.253 है0, प0नं0 30/1(39) कि0न0 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 की 3.289 है0, प0नं0 30/9(40) कि0नं0 1/1, 10/1, 11/1, 20/2, 21/2, 23 ता 25 की 1.898 है0 कुल 5.693 है0 इस प्रकार दोनो खातों की कुल तादादी 15.560 है0 वादी मृतक साहबराम व वादी के पिता पतराम वल्द मानाराम के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कागजात है। उपरोक्त समस्त आराजी पूर्व में वादी के दादा मानाराम वल्द ईश्वरराम कौम सुथार निवासी खैदासरी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। बाद वफात मानाराम के उपरोक्त आराजी मुझ वादी व मुझ वादी के भाई साहबराम व मुझ वादी के पिता पतराम वल्द मानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है। चक 3 केडीएम के वर्तमान खाता सं. 43/30 की 9.867 है0 भूमि पूर्व में मानाराम वल्द ईश्वरराम के नाम की खातेदारी कृषि भूमि थी। मुझ वादी के दादा मृतक मानाराम ने अपने जीवनकाल में ही जरिये रजिस्टर्ड वसीयत उक्त भूमि 39.00 बीघा की वसीयत पतराम पुत्र मानाराम, साहबराम, देवीलाल पि0 पतराम के नाम ब0हि0ब0 करवाई थी। जिसका नामान्तकरण इन्तकाल संख्या 38 के द्वारा दिनांक 10.04.1975 के द्वारा पतराम पुत्र मानाराम, साहबराम, देवीलाल पि0 पतराम के नाम दर्ज हो चुका था। लेकिन आगामी पर्चा खतौनी तैयार करते समय पतराम पुत्र मानाराम के स्थान पर पताराम, मानाराम, साहबराम, देवीलाल पि0 पतराम दर्ज कर दिया। जो कतेई गलत दर्ज हुआ है। उक्त गलत इन्द्राज के आगामी जमाबन्दी तैयार करते समय पन्नाराम, मालाराम, साहबराम, देवीलाल पि0 पतराम दर्ज कर दिया। जो कतेई गलत दर्ज हुआ है। पन्नाराम व मालाराम नाम का कोई भी व्यक्ति नही है। उक्त इन्द्राज मात्र भूलवंश व सहवन से दर्ज हुआ है। उक्त गलत इन्द्राज को वादी दुरूस्त करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवाने का हकदार व दावेदार है। चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 115/101 की 5.693 है0 भूमि वादी के दादा मानाराम वल्द ईश्वरराम की पैदाकर्ता आराजी थी। जो बाद वफात मानाराम के उनके वारिस पतराम पुत्र मानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। उक्त भूमि इन्तकाल संख्या 03 दिनांक 12.03.1986 के द्वारा अन्तर्गत धारा 15 एएए के तहत खातेदार दर्ज हो चुकी थी। लेकिन आगामी जमाबन्दी तैयार करते समय उपरोक्त भूमि पुनः प्री–55 की दर्ज कर दी व आज भी उपरोक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी काश्त पूर्व का चली आ रही है। उक्त गलत इन्द्राज की वजह से वादी के खातेदारी हकुक का हनन होता है। इसलिए वादी उपरोक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज करवाने का मजाज है। मृतक पतराम के आठ वारिसान थे। इसलिए वे विवादित आराजी के प्रत्येक 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार हुए तथा मृतक पतराम के पुत्र मृतक साहबराम के छः वारिसान है, इसलिए प्रत्येक 1/48 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हुआ। अर्जीदावा के प्रतिवादी सं. 5 ता 20 ने अपने हक व हिस्सा का त्याग वादी एवं अर्जीदावा के प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में कर दिया है वे विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा नही लेना चाहते है। क्योंकि प्रतिवादी सं. 10 ता 14 मृतक परमेश्वरीदेवी जो मेरी बहिन है के वारिसान है व प्रतिवादी सं. 15 पुरादेवी मेरी बहिन है तथा प्रतिवादी सं. 16 कृष्णलाल, मृतक शान्ति जो मेरी बहिन है का वारिसान है। प्रतिवादी सं. 17 व 18 जो मेरी बहिने है तथा प्रतिवादी सं. 19 व 20 मुझ वादी की मृतक बहिन मनीदेवी के वारिसान है, उपरोक्त सभी ने अपने हक व हिस्सा का त्याग मुझ वादी व अर्जीदावा के प्रतिवादी सं. 1 दाताराम व मृतक मदनलाल के वारिसान सुखादेवी व रविकुमार के पक्ष में काफी अर्सा पूर्व ही कर दिया था, वे विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का हक व

हिस्सा नही लेना चाहते है। प्रतिवादी सं. 5 ता 20 द्वारा अपने हक व हिस्सा का त्याग करने के उपरान्त चक 3 केडीएम के दोनों खातों की कुल 15.560 है0 भूमि में से मुझ वादी के हिस्सा में 7.780 है0 प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में 3.728 है0 प्रतिवादी सं. 2 व 3 के हिस्सा में 3.728 है0 तथा प्रतिवादी सं. 4 बिमादेवी के हिस्सा में 1/48 हिस्सा यानि 0.324 है0 भूमि हिस्सा व कब्जा काश्त में आयी है तथा हम इसी अनुसार काश्त करते आ रहे है। वादी मुताबिक कब्जा काश्त अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवाने का हकदार व दावेदार है तथा यही बिनाय दावा है। मृतक पतराम पुत्र मानाराम के आठ वारिसान थे। जिनमें से प्रतिवादी सं. 1 दाताराम के पिता साहबराम व पतराम के पुत्री परमेश्वरी, शान्ति व मनीदेवी फोत हो चुकी है। वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 20 को कई बार कहा कि वे चक 3 केडीएम के दोनों खातों की कुल 15.560 है0 भूमि में मुताबिक कब्जा काश्त व अपने हकों की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करवा लेवें। लेकिन वे मुझ वादी की उपरोक्त बात मानने से आज से एक सप्ताह पूर्व बमुकाम भैरूसरी में कतई इन्कार हो गये। पस यही बिनाय मुखास्मत दावा है। इस प्रकार दावा पेश कर वादी ने निवेदन किया कि करार दिया जावे कि आराजी चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 43/30 के प0नं0 9/63(18) कि0नं0 23 की 0.253 है0, प0नं0 29/8(30) कि0नं0 1,10,11,20,21 की 1.265 है0, प0नं0 9/64(31) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 है0, प0नं0 10/57(38) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 15 की 2.277 है0, प0नं0 30/1(39) कि0नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 की 2.277 है0 कुल 9.867 है0 तथा इसी चक के खाता सं. 115/101 के प0नं0 29/16(29) कि0नं0 21 की 0.253 है0, प0नं0 29/8(30) कि0नं0 22 की 0.253 है0, प0नं0 30/1(39) कि0न0 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 की 3.289 है0, प0नं0 30/9(40) कि0नं0 1/1, 10/1, 11/1, 20/2, 21/2, 23 ता 25 की 1.898 है0 कुल 5.693 है0 इस प्रकार दोनो खातों की कुल तादादी 15.560 है0 में वादी 7.780 है0 प्रतिवादी सं. 1 दाताराम 3.728 है0, प्रतिवादी सं. 2 सुखादेवी व प्रतिवादी सं. 3 रविकुमार ब0हि0ब0 3.728 है0 व प्रतिवादी सं. 4 बिमादेवी अकेली 1/48 हिस्सा यानि 0.324 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने आदेश फरमाये जावे तथा चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 43/30 में दर्ज पन्नाराम, मालाराम, साहबराम, देवीलाल पि0 पतराम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर पतराम पुत्र मानाराम सही अंकन मानते हुए पन्नाराम, मालाराम का नाम जमाबन्दी से कलमजन किया जावे तथा चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 115/101 की 5.693 है0 भूमि को आराजी काश्त पूर्व के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि घोषित की जावे। अपने दावा की ताईद में दस्तावेजों की सुची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी चक 3 केडीएम बहक पन्नाराम वगैरह, नकल जमाबन्दी चक 3 केडीएम बहक पतराम, प्रमाणित प्रति इन्तकाल सं. 38, नकल पर्चा खतौनी चक 3 केडीएम बहक पताराम वगैरह, प्रमाणित प्रति खसरा नम्बर 243, 259 बहक मानाराम व पतराम, प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी चक 3 केडीएम बहक पन्नाराम, प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी चक 3 केडीएम बहक पतराम, प्रमाणित प्रति पर्चा खतौनी चक 3 केडीएम बहक पतराम, फोटोप्रति मृत्युप्रमाण पत्र पतराम, साहबराम, प्रमाणित प्रति सदस्य तस्दीक प्रमाण पत्र बहक पतराम, साहबराम, वारीसप्रमाण पत्र बहक कृष्णलाल, बलराम, मृत्यप्रमाण पत्र बहक परमेश्वरी, शान्तिदेवी पेश किये।

वाद वादी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.05.2018 को प्रतिवादी सं. 1 ता 20 ने जरिये वकील उपस्थित आकर इकबालदावा पेश किया। जिसे बाद तस्दीक शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादी सं. 5 ता 20 ने अपने हक त्याग बाबत स्टाम्प पेश किया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

प्रतिवादी सं. 21 राजपेरोकार ने जबाब पेश किया। अपने जबाब में राजपेरोकार ने वादी के दावा की मद सं. 1 को तकमीलन, मद सं. 2 को रिकार्डेड, सिद्ध करने का भार वादी पर, मद सं. 3, 4, 7, 9, 10 को लाईल्मी, मद सं. 5, 6 को सिद्ध करने का भार वादी पर होना, मद सं. 8, 11, 12 को कानूनी होना बताते हुए जबाब के अन्त में राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय किया जाना उचित होना बताया।

साक्ष्यवादी में दिनांक 07.08.2018 को वादी स्वयं उपस्थित आया व शपथ पत्र पेश किया। अपने शपथ पत्र में वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को ही दोहराया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अर्जीदावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत शामिल खाते के सहकाश्तकार अपने हक हिस्सा की घोषणा करवा सकते है तथा हक त्याग कर सकते है। अतः वाद वादी डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि आराजी चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 43/30 के प0नं0 9/63(18) कि0नं0 23 की 0.253 है0, प0नं0 29/8(30) कि0नं0 1,10,11,20,21 की 1.265 है0, प0नं0 9/64(31) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.795 है0, प0नं0 10/57(38) कि0नं0 3 ता 8, 13 ता 15 की 2.277 है0, प0नं0 30/1(39) कि0नं0 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 की 2.277 है0 कुल 9.867 है0 तथा इसी चक के खाता सं. 115/101 के प0नं0 29/16(29) कि0नं0 21 की 0.253 है0, प0नं0 29/8(30) कि0नं0 22 की 0.253 है0, प0नं0 30/1(39) कि0नं0 4 ता 8, 13 ता 18, 24, 25 की 3.289 है0, प0नं0 30/9(40) कि0नं0 1/1, 10/1, 11/1, 20/2, 21/2, 23 ता 25 की 1.898 है0 कुल 5.693 है0 इस प्रकार दोनो खातों की कुल तादादी 15.560 है0 में से वादी को 7.780 है0, प्रतिवादी सं. 1 दाताराम को 3.728 है0, प्रतिवादी सं. 2 सुखादेवी व प्रतिवादी सं. 3 रविकुमार ब0हि0ब0 को 3.728 है0 व प्रतिवादी सं. 4 बिमादेवी अकेली 1/48 हिस्सा यानि 0.324 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 43/30 में दर्ज पन्नाराम, मालाराम, साहबराम, देवीलाल पि0 पतराम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर पतराम पुत्र मानाराम सही अंकन मानते हुए पन्नाराम, मालाराम का नाम जमाबन्दी से कलमजन किया जाता है तथा चक नं. 3 केडीएम के खाता सं. 115/101 की 5.693 है0 भूमि को आराजी काश्त पूर्व के स्थान पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी भूमि दुरूस्त किये जाने की घोषणा की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 01/10/2019 को सुनाया गया।

(बनवारीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal
Date: 2019.11.10 14:59:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: